फर्द आहकाम

बनाम

नाम :—उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

/202.....

आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12.24	पत्रावली पेश हुई। वसूलात फरिकेन उपस्थित। पुनरीक्षण की पालना में पत्रावली दिनांक 18/12/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
18.12.24	पत्रावली पेश हुई। वसूलात फरिकेन उपस्थित। पुनरीक्षण की पालना में पत्रावली दिनांक 15/1/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
10/1/25	अभिभक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली तलब फरमाने एवं विड्रॉ किये जाने प्रस्तुत करने पर पत्रावली तलब की गयी। प्रकरण से संबंधित मूल वाद विड्रॉ प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज किया जा चुका है। जिससे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA औचित्यहीन हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नाकार से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	मूलचन्द अधिवक्ता